न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 74 / 2021
प्रविष्टि दिनांक 20.12.2021

गोपाल पुत्र नेहनूलाल जाति गुर्जर निवासी सन्देडा तहसील पीपलू जिला टोंक राज0

–अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला–टोक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार पीपलू दिनांक 10.11.2021 मिसल नम्बर 492 / 2021

उपस्थिति : (1) श्री पवन कुमार जैन,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय **दिनांक 20.10.2022**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपलू ने अपने निर्णय दिनांक 10.11.2021 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 814 / 1 रकबा 2 बीघा किस्म सिवायचक वाके ग्राम सन्देडा तहसील पीपलू में राजकीय भूमि पर कब्जा जात कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 130 / रू पेनल्टी कायम कर 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार पीपलू के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। वादग्रस्त भूमि सेटलमेन्ट से पहले अपीलांट के पूर्वजो की खातेदारी की भूमि थी, जिसको गलत रूप से सिवायचक किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरूद्ध दुर्भावना पूर्वक रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट का किसी भी प्रकार से उक्त भूमि पर अतिक्रमण [illegible] है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को पटवारी [illegible] से जिरह करने का अवसर नही दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली [illegible] अपीलांट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने बाबत कोई साक्ष्य–सबूत भी नहीं है। अपीलांट [illegible] उक्त भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:54:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

से अतिक्रमण हटाने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 814/1 रकबा 2 बीघा किस्म सिवायचक वाके ग्राम सन्देडा तहसील पीपलू में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर कब्जा जोत कर अतिक्रमण करने पर तहसीलदार पीपलू द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोडना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की स्वंय की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 814/1 रकबा 2 बीघा किस्म सिवायचक वाके ग्राम सन्देडा तहसील पीपलू पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर कब्जा जोत कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1200/2021 निर्णय दिनांक 18.02.2021 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 13.10.2022 को न्यायालय हाजा में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कब्जा हटा लिया है,पूर्व मे भी मेरा अतिक्रमण नही था, मेरी किसी भी प्रकार से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने की भावना नही रही है तथा मे भविष्य मे भी उक्त भूमि या सरकारी भूमि पर कब्जा नही करूंगा। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपलू का निर्णय दिनांक 10.11.2021 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्ट पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनाक 20.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:54:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक